| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|

**वाद संख्या–62/2023**

15.12.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्रीमती पुष्पा उरांव एवं अन्य, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पंचायत–भठखिजरी–इरगांव, प्रखण्ड+जिला–लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग ने अपने पिछले आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया था कि "आयोग सभी शिकायतकर्ताओं को ये निदेश देता है कि सभी शिकायतकर्ता अपने–अपने राशन कार्ड के साथ आपसी सहमति से निर्धारित दिनांक–06.12.2023 की तिथि को दिन के 12:00 बजे जिला आपूर्ति कार्यालय जायेंगे और जिला आपूर्ति पदाधिकारी उनके राशन कार्ड को देख कर ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्हें किन माह का राशन नहीं मिला है। यदि मूल शिकायतपत्र में जिस अवधि का राशन नहीं दिये जाने की बात कही गई है उन अवधि का राशन यदि सभी शिकायतकर्ता को उपलब्ध करा दिया गया है तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी उस आशय का प्रमाण आयोग में पेश करेंगे और यदि अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास उपलब्ध नहीं होगा तो वो सभी शिकायतकर्ता को जिस अवधि का राशन नहीं उपलब्ध कराया गया है उस अवधि का राशन उपलब्ध करायेंगे। सभी शिकायतकर्ता ने यदि आयोग के आज के आदेश का अनुपालन नहीं किया और राशन कार्ड लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय नहीं पहुँचे तो आयोग ये मानेगा की शिकायतकर्ता को उस अवधि का राशन मिल चुका है। तदोपरान्त आयोग न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य होगा।"

आयोग के इस आदेश के बाद आज की सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के आदेश के आलोक में सिर्फ 06 शिकायतकर्ता अपना राशन कार्ड लेकर आए, जिन्हें राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण संलग्न कर आयोग के सुनवाई में प्रस्तुत किया गया है। आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता ने 12 तारीख को पुनः आने के बात कहा थी, लेकिन उस दौरान भी अन्य शिकायतकर्ता अपना राशन कार्ड लेकर नहीं आए। आयोग शिकायतकर्ता को यह निर्देश देता है कि राशन कार्ड की जाँच किये बगैर अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश आयोग नहीं दे सकता। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को यह निर्देश देता है कि वे चाहें तो अगली सुनवाई में उन सभी लोगों का राशन कार्ड लेकर आयोग की सुनवाई में उपस्थित हों, जिन लोगों को राशन उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत की जा रही है। अगली सुनवाई

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | में जितने राशन कार्ड के साथ शिकायतकर्ता उपस्थित होंगे, उतने राशन कार्ड का अवलोकन कर आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देगा। आयोग के आज के आदेश का यदि शिकायतकर्ता ने अनुपालन नहीं किया, तो अगली सुनवाई में आयोग इस वाद को निष्पादित करने को बाध्य होगा।<br>मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.12.2023 को निर्धारित की जाती है।<br>आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.12.2023 को रखें।<br><br>**(शबनम परवीन)**<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>**(हिमांशु शेखर चौधरी)**<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx140 | |